भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 213

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को निरुद्ध करना

†213. डॉ॰ मोहम्मद जावेदः
श्री के॰ नवासखनीः
श्री टी॰ एन॰ प्रथापनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और/या निरुद्ध करने के मामले बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा नागरिक अधिकारों के लिए गिरफ्तारी में हुई वृद्धि और/या शांतिपूर्ण विरोध के लिए भारत में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को निरुद्ध करने के बारे में व्यक्त की गयी चिंताओं का संज्ञान लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के आंकड़े हैं जो भीमा कोरेगांव मामले और सीएए के विरोध में हुए आन्दोलन के कारण गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ङ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) एक केंद्रीय एजेंसी है, जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन “क्राइम इन इंडिया” में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और/अथवा उनकी निरुद्धता (डिटेंशन) से संबंधित कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है। इसलिए, इस संबंध में गिरफ्तारी और/अथवा निरुद्धता (डिटेंशन) की प्रवृत्ति का कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

लो.स./अता./प्र.स. 213

(ख) से (घ): भारत सरकार ने भारत में मानव अधिकार संबधी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां करने के बारे में मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा 20 अक्टूबर, 2020 को जारी प्रेस रिलीज का संज्ञान लिया है और उसी अनुसार यथोचित कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, मानव अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 सहित कई विधानों में पर्याप्त सुरक्षा के उपाय उपलब्ध हैं।

******